Reg. No- 93/19 T.R - 1900/19

14. 08. 2019 आत्म समर्पित अभियुक्तगण 1. रविन्द्र चौबे 2. साधना देवी एवं 3. सत्यदेव ठाकुर की ओर से नवीन अधिकार पत्र एवं उपस्थिति पत्र तथा सीटी सोलुशन कम्पनी द्वारा कार्यरत प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ बिना टिकट के जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया। जिसकी प्रति विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

वाद पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थिति हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनका कथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा न तो विद्वान सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायलय में दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धाराएँ 323, 427, 504 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। जो सभी जमानतीय प्रकृति के है। अभियुक्तगण समन पर ही न्यायालय में उपस्थित हुई है। प्रार्थीगण अपने सक्षम जमानदारो द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षो को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धाराएँ 323, 427, 504 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। जो सभी जमानतीय प्रकृति के है। अभियुक्तगण समन पर ही न्यायालय में उपस्थित हुए है। इनलोगो की ये प्रथम उपस्थिति है। अतएव इनके सक्षम जमानतदारो द्वारा 5000 ×2 के समान धन राशि के दो प्रतिभूओ द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी,पुपरी

14. 08. 2019 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित अभियुक्तगण के जमानतदारो द्वारा सत्यापित बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी,पुपरी